न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2015/21

जगदीश पुत्र लादू जाति बारागांव ब्राहम्ण, निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर। (दौराने दावा मृतक)

1/1 राम प्रसाद शर्मा
1/2 लक्ष्मण लाल शर्मा
1/3 पप्पू लाल शर्मा
1/4 सीताराम शर्मा

पुत्रान् स्व0 जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र नानगा
2. जगदीश पुत्र रामकुमार
3. श्रीमती किस्तूरी बेवा स्व0 रामकुमार
4. प्रहलाद पुत्र नारायण
5. पांचू पुत्र नारायण
6. गोपीराम पुत्र रामेश्वर
7. गणपत लाल पुत्र रामेश्वर
8. जमना पत्नी श्रीनारायण
9. कानाराम पुत्र रामकिशन
10. चौथमल पुत्र रामकिशन
11. जगदीश पुत्र रामकिशन
12. श्रीमती छोटी देवी पत्नी नारायण लाल, जाति खाती, निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
13. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक: 17.09.2021

वादी की ओर से दावा इस आशय के [illegible] पेश किया गया कि ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का बीलवा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में

Scanned by CamScanner

एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 141 जिसका क्षेत्रफल रकबा 0.8500 हैक्टेयर है उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का शामलाती एवं अविभाजित हिस्सा चला आ रहा है जिस कृषि भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी का 1/18 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नंबर 2 व 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नंबर 4 व 5 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 6 व 7 का 2/7 हिस्सा, प्रतिवादी नंबर 8 का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी नंबर 9, 10, 11 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी नंबर 12 का 1/9 हिस्सा है जों उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में उपरोक्त प्रकार से हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण का दर्ज है जो उक्त वर्णित कृषि भूमि शामलाती व अविभाजित चली आ रही है जिसका कानूनी रूप से अभी तक किसी भी प्रकार से विभाजन नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि में केवल मनबट से काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण की नियत खराब है तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने अपने कुछ हिस्से में गार्डन मनमर्जी से बना दिया है और शेष प्रतिवादी क्रम 3 से 12 ने उक्त भूमि के फ्रन्ट हिस्से में कुछ आवासीय मकान बना लिये है तथा प्रतिवादीगण वादी को उक्त भूमि में फ्रन्ट हिस्से पर ना तो काश्त करने दे रहे है, ना फ्रन्ट हिस्से पर वादी को काबिज काश्त करने नही दे रहे है बल्कि वादी को उक्त भूमि में पीछे की तरफ ही काबिज काश्त करने की प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 कहते है जब वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि के फ्रन्ट हिस्से पर वादी के लिए मकान बनाने के लिए वादी ने निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ना तो वादी को फ्रन्ट हिस्से पर मकान बनाने दिया, ना ही वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण ने उसका बंटवारा ही किया, बल्कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने से स्पष्ट रूप से वादी के प्रति इन्कार हो गये और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 वादग्रस्त भूमि के फ्रन्ट हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा फ्रन्ट हिस्से पर मकान बनाने के लिए आमादा हो गये और फ्रन्ट हिस्से पर मकान बनाने की धमकी भी प्रतिवादीगण ने वादी को दी। इसलिए वादी को यह वादपत्र बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के [illegible] भूमि के [illegible] करना आवश्य हो गया। वाद हाजा का [illegible] दिनांक [illegible]4.03.2[illegible] को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को तब [illegible] हुआ जब प्रतिव[illegible] वादी को वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार [illegible] तथा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण, करने की व वादग्रस्त भूमि पर प्लाट व दूकान काटने की धमकी अवैधानिक तौर पर वादी को दी तथा वादग्रस्त भूमि को गृह निर्माण सहकारी समिति को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

बेचान करने की भी धमकी प्रतिवादीगण ने वादी को दी। इसलिए वादी को यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्राथ्रना की गई है कि वादी का वादपत्र विभाजन विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि जिसका खसरा नंबर 141 रकबा 0.8500 हैक्टेयर वादग्रस्त का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर उसका खाता व लगान पर्चा अलग अलग कायम फरमाया जावे इस आशय की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें। वादी का वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 0.8500 बारानी वाकै ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है उस कृषि भूमि में प्रतिवादीगण क्र. सं. 1 से 12 किसी भी प्रकार से ना तो उसमें निर्माण करें, ना उसमें प्लॉट व दूकान का आवंटन करें, ना उसमें किसी प्रकार की सड़के बनाये और ना ही वादग्रस्त भूमि को किसी गृह निर्माण सहकारी समिति या सोसायटी को या किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार से रहन, बय, बख्सीस आदि प्रकार से ना तो बेचान करें ना ही हस्तान्तरण करें ना ही विपक्षी नंबर 1 व 2 गार्डन में किसी भी प्रकार से शादी, पार्टी व उत्सव आदि को बुकिंग करे ना आयोजन करें, ना ही ऐसा कृत्य प्रतिवादी क्रम संख्या 1 से तेरह अपने एजेण्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावे तथा प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि उसके हक व हिस्से पर कब्जा कास्त करने में किसी प्रकार की बाधा व मजाहमत पैदा न तो स्वंय करे, ना ही करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। पत्रावली वास्ते सुनवाई लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने लोक अदालत की भावना से वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया व वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 141 रकबा 0.8500 है० वाकै ग्राम प्रहलादपुरा [illegible] सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा [illegible] बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान की उपस्थिति [illegible] कर अलग-अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा [illegible] तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवाये। प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहरींर जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2021/2051 दिनांक 24.03.2021 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। जो निम्नानुसार है:–

वर्तमान खाते के अनुसार इन्द्राज

खाता सं.	नाम खातेदार मय जाति पता	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
23	कानाराम पुत्र रामकिशन हि0 1/27 गणपतलाल पुत्र रामेश्वर हि0 1/27 गोपीराम पुत्र रामेश्वर हि0 1/27 चौथमल पुत्र रामकिशन हि0 1/27 जगदीश पुत्र मु0 नानगा हि0 1/4 जगदीश पुत्र रामकंवार हि0 1/4 जगदीश पुत्र रामकिशन हि0 1/27 जमना देवी पत्नी श्री नारायण हि0 1/27 पप्पूलाल पुत्र जगदीश हि0 1/72 प्रहलाद पुत्र नारायण हि0 1/18 पांचू पुत्र नारायण हि0 1/18 रामप्रसाद पुत्र जगदीश हि0 1/72 लक्ष्मण पुत्र जगदीश हि0 1/72 सीताराम पुत्र जगदीश हि0 1/72 जाति बारानी ब्राहम्ण सा0 देह छोटी देवी पत्नी नारायणलाल हि0 1/9 जाति खाति सा0देह	141	0.85	बारानी 1	6.63

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:02 IST
Reason: SelfAttested

नवीन प्रस्तावित प्रविष्टि के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	नाम खातेदार मय जाति पता	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र मु0 नानगा हि0	141/1	0.42	बारानी 1	3.29

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

	1/2 जगदीश पुत्र रामकंवार हि0 1/2 जाति बारागांव ब्राहम्ण सा0देह				
2	रामप्रसाद, लक्ष्मण, पप्पूलाल, सीताराम पि0 जगदीश जाति बारागांव ब्राहम्ण सा0देह	141/3	0.05	बारानी 1	0.37
3	छोटी देवी पत्नी नारायणलाल जाति खाती सा0देह हि0 19/76, कानाराम जगदीश चौथमल पि0 रामकिशन हि0 19/76, प्रहलाद पांचू पि0 नारायण हि0 19/76, गणपतलाल गोपीराम पि0 रामेश्वर हि0 13/76, जमना देवी पत्नी श्री नारायण हि0 6/76 जाति बारागांव ब्राहम्ण सा0देह	141/2	0.38	बारानी 1	1.97

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर बगौर मनन किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आश्य का प[illegible] जारी हो। आदेश आज दिनांक 17.09.2021 को लि[illegible] जाकर सरे इ[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)**

जगदीश **बनाम** जगदीश वगै.

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/15

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती सुमन देवी व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिंम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

निज ......×...... मुबलिग ......×...... बाबत् ......×...... .... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ......×...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......×...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.09.2021 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत ......(हस्ताक्षर)......

ओहदा ......सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय......

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:02 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner